

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

प्रदीप कुमार सैनी बनाम भूमिधारी वगै०

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अ० धारा 251 (क) राज० का० अधि० मु० नं० 275 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/467

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17-06-2025	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। आवेदक/प्रार्थी की ओर से श्री राजू सैनी एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में रास्ते के संबंध में जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर एवं अप्रार्थीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 28.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)</p> <p>28/7. पत्रावली पेश हुई। अभियोगक सभ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 07/8/25 को पेश हो।</p> <p>10/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में बरख है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/8/25 को पेश हो।</p> <p>26/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उप. I.P.O सा. दीर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/9/25 को पेश हो।</p> <p>24/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में बरख है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/10/25 को पेश हो।</p> <p>15/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में बरख है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/11/25 को पेश हो।</p> <p>12/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में बरख है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/12/25 को पेश हो।</p>	

05/12/25

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार
नीमकाथाना रिपोर्ट घरे में दिनांक 27.10.2025 को
प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली ही वकील
प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्राप्त रिपोर्ट अशुद्ध
प्रार्थी को रास्ता दिखाना है।

वकील प्रार्थी बहादुर हुनी गयी। पत्रावली एवं
तहसीलदार रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। तहसीलदार, नीमकाथाना के प्राप्त रिपोर्ट
अशुद्ध रास्ता दिखाने के संबंध में सहमत है।
उक्त प्रार्थी का पार्श्व पत्र अन्तर्गत धारा 251 के
अनु. कायदा, अधिनियम 2008 में (सीकर किया
जाना है) निर्दिष्ट प्रथम के लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली में (सीकर
होकर नम्बर के रूप में दर्ज करवा दिया है।)



राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)